संख्या- 297 /2015-2942/नौ-5-15-136बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत भरगैन जनपद कासगंज की पेयजल योजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-138/नागर-2/033-304/15, दिनांक-12.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत भरगैन जनपद कासगंज की पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 324.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी /उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(5) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय ।

(6) परियोजना को पूर्ण कराते हुए परियोजना तत्काल सम्बन्धित नागर निकाय को हस्तान्तरित किया जाय।

shasnadesh.up.nic.in/mra

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्ते का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियत्रंक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जल पूर्ति-193-नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-297/2015-2942(1)/नौ-5-15-136बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /कासगंज।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कोषागार लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 मुख्य अभियंता,(अगा0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
8 अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम कासगंज।
9 अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भरगैन, कासगंज।
10 वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 ।
11 गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-01/09/2015

प्रेषण संख्या:- 297

आवंटन आदेश संख्या:- 001-297-2015-2942-9-5-15-136B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	10000000	10000000
		प्रगामी	108962500	108962500
	योग	वर्तमान	10000000	10000000
		प्रगामी	108962500	108962500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ नवासी लाख बासठ हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी